

दिनांक 14.09.2023 को ग्राम विशुनपुरी मे हुए दुष्कर्म की घटना मे नामजद अभियुक्त मात्र 24 घण्टे के भीतर गिरफ्तार ।

दिनांक 14.09.2023 को थाना अलापुर जनपद बदायूँ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 479/2023 धारा 376/506 भादवि व ¼ पोक्सो अधिनियम बनाम चन्दन पुत्र नन्हे नि0 ग्राम विशुनपुरी थाना अलापुर जनपद बदायूँ की घटना को डा0 ओ0पी0 सिंह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बदायूँ द्वारा गम्भीरता से लेते हुए तत्काल टीम बनाकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश दिये गये थे।

डाँ0 ओपी सिंह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूँ के निर्देशन, अमित किशोर श्रीवास्तव पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं कर्मवीर सिंह क्षेत्राधिकारी दातागंज के आदेशानुसार एवं प्रभारी निरीक्षक हरपाल सिंह बालियान के नेतृत्व मे पुलिस टीम अलापुर द्वारा दिनांक 14.09.2023 की रात्रि मे ग्राम विशुनपुरी से करीब 100 मी0 पहले मोड पर पाखड पेड के पास थाना अलापुर बदायूँ से मुकदमा उपरोक्त मे नामजद अभियुक्त चन्दन पुत्र नन्हे नि0 ग्राम विशुनपुरी थाना अलापुर जनपद बदायूँ को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला कारागार भेजा गया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. चन्दन पुत्र नन्हे नि0 ग्राम विशुनपुरी थाना अलापुर जनपद बदायूँ

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 479/2023 धारा 376/506 भादवि व ¼ पोक्सो अधिनियम थाना अलापुर बदायूँ

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. निरी0 अपराध उरेन्द्रपाल सिंह
2. का0 1071 अनुज सिरोही

सोशल मीडिया सेल

जनपद बदायूँ ।